

State Police Complaint Authority, Haryana

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, हरियाणा

। सार्वजनिक सुचना ।

हरियाणा पुलिस की जवाबदेही में सुधार हेतू राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, हरियाणा का पुनर्गठन 20 अप्रैल 2021 को किया गया है। नागरिकों को अब अपनी शिकायत का निष्पक्ष निवारण का पूरा अवसर मिलेगा। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर निम्न लिखित बिन्दुओं पर पुलिस की कार्यवाही या किसी पुलिस कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध शिकायत है तो वह अपनी शिकायत राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, हरियाणा को Email या डाक द्वारा निम्न पते पर या स्वयं प्रस्तुत कर सकता है :-

- * बलात्कार अथवा बलात्कार की कोशिश।
- * पुलिस हिरासत में मृत्यु।
- * गम्भीर चोट।
- * बिना कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में रखना।
- * जबरदस्ती वसूली करना।
- * किसी की जायदाद को हड़पना।
- * पुलिस कर्मचारी का संगठित अपराध में शामिल होना।
- * 10 साल या इससे ज्यादा सजा वाले अपराध (भारतीय दंड संहिता 1860) में पुलिस द्वारा कार्यवाही न करना।

नोट : शिकायत के साथ पहचान पत्र और शपथ पत्र सलग्न करना आवश्यक है।

पता: ओल्ड पी डब्ल्यू डी (बी एंड आर) बिल्डिंग,
सैक्टर 19-बी, चन्डीगढ़।

ई मेल: spca.haryana@nic.in

दूरभाष: 0172-2772244/0172-2910526

मोबाईल: 7888338787

अध्यक्षा,

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, हरियाणा